छत्तीसगढ़ शासन

श्रम विभाग

महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

<u>अधिसूचना</u>

नया रायपुर, दिनांक 11/3/15

क्रमांक एफ 10–2/2015/16 :– असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :–

घरेलू महिला कामगार कौशल उन्नयन एवं ठेका श्रमिक, हमाल तथा घरेलू महिला कामगार परिवार सशक्तिकरण योजना :–

1 योजना का प्रावधान :–

1.1 योजना का नाम "महिला कामगार कौशल उन्नयन एवं ठेका श्रमिक हमाल तथा घरेलू कामगार परिवार सशक्तिकरण योजना"।

1.2 योजना के अंतर्गत घरेलू महिला कामगार को छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा चिन्हांकित व्यवसाय हेतु मण्डल द्वारा पंजीकृत घरेलू महिला कर्मकारों को प्रशिक्षण देय होगा।

1.3 घरेलू महिला कामगार के परिवार के सदस्यों तथा ठेका श्रमिक एवं हमाल श्रमिक के परिवार के सदस्यों को समय–समय पर राज्य शासन के तकनीकी शिक्षा विभाग (CSSDA) द्वारा चिन्हांकित व्यवसाय हेतु प्रशिक्षण दिया जावेगा।

1.4 योजना के प्रावधान अनुरूप प्रशिक्षण हेतु मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना एवं छत्तीसगढ़ स्टेट स्किल डेव्हलपमेंट अथॉरिटी द्वारा अधिकृत संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण की कार्यवाही की जावेगी।

1.5 परिवार से तात्पर्य पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री (दो संतान तक)

1.6 योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे।

2 योजना का स्वरूप :–

2.1 पंजीकृत घरेलू महिला कामगार के कौशल उन्नयन हेतु निम्नांकित प्रशिक्षण देय होगा–

(I) ब्यूटीशियन (BEAUTICION)

(II) न्यूट्रीशियन (NUTRICION)

(III) डायटीशियन (DIETITION)

(IV) कुकिंग (COOKING)

(V) हास्पीटलिटी (HOSPITILITY)

(VI) हाउस होल्ड (बड़ी,पापड़, आचार आदि बनाना) (HOUSEHOLD)

(VII) नर्सिंग (NURSING)

(VIII) टेलरिंग (TAILORING)

2.2 ठेका श्रमिक, हमाल श्रमिक तथा घरेलू महिला कामगार के परिवार के सदस्यों को छत्तीसगढ़ स्टेट स्किल डेव्हलपमेंट ॲथारिटी द्वारा निर्धारित ट्रेड में आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण।

3 योजना हेतु आवेदन की प्रकिया :–

3.1 योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु घरेलू महिला कामगार, ठेका श्रमिक, हमाल का मण्डल में पंजीयन होना आवश्यक होगा।

3.2 यदि कोई व्यक्ति राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से लाभ प्राप्त कर रहा है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

3.3 योजना हेतु आयु सीमा 18 से ऊपर होनी चाहिए।

4 <u>योजना हेतु आवेदन की प्रकिया</u>

4.1 आवेदिका/आवेदक को स्वयं के हस्ताक्षर से आवेदन करना होगा।

4.2 आवेदन में छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल का पंजीयन क्रमांक अंकित किया जाना आवश्यक है।

4.3 आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जावेगा।

5 **योजना हेतु व्यय–**

प्रशिक्षण के विभिन्न मदों पर होने वाले व्यय छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा वहन किया जावेगा।

6 **विसंगति का निराकरण–**

योजना में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

10/3/15
(याकुब खेस्स)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठांकन क्रं. एफ 10–2/2015/16 **नया रायपुर, दिनांक** 11/3/15.......

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, (भारसाधक मंत्री) श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
4. श्रमायुक्त श्रमायुक्त कार्यालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
7. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
8. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी..........(छ0ग0)
9. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ..(छ0ग0)
10. उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित् कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

10/3/15
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग